थाईलैंड की शाही सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन

थाईलैंड की शाही सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद से ''पक्षकार'' कहा गया है) ने;

शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

मानव संसाधन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर शिक्षा के गहरे प्रभाव का स्मरण करते हुए;

यह महसूस करते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होने से पारस्परिक लाभ होगा; और

साथ ही दिनांक 29 अप्रैल,1977 को हस्ताक्षरित भारत गणराज्य की सरकार और थाईलैंड की शाही सरकार के बीच संस्कृतिक समझौते का भी स्मरण करते हुए;

निम्न प्रकार सहमति व्यक्त की है-

अनुच्छेद-I

दोनों पक्षकार अपनी-अपनी अकादमिक तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर दोनों देशों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं के बीच संपर्क तथा सहयोग को, जैसा भी उपयुक्त हो, बढ़ावा देंगे। इनमें निम्नलिखित सभी अथवा कुछेक कार्यकलाप शामिल होंगेः-

i) अनुसंधान सामग्री, प्रकाशनों, शैक्षिक साहित्य, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रदर्शन सामग्री तथा सूचना का विनिमय;

ii) संयुक्त सम्मेलनों, प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों का आयोजन;

iii) संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों तथा प्रकाशनों का आयोजन;

iv) शैक्षिक प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;

v) अकादमी के कार्मिकों तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का विनिमय;

vi) अध्येताओं, शिक्षकों, विशेषज्ञों का विनिमय;

vii) उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संयुक्त व्यवस्थाएँ;

viii) तकनीकी, व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता वाली संस्थाओं के मध्य द्विपक्षीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर और अधिक विकास करना;

ix) शैक्षणिक अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता की संभावना की जाँच करना;

x) समसामयिक अध्ययन-पीठों की स्थापना;

xi) उच्च शिक्षा की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;

xii) सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित तथा विज्ञान के क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता और सहयोग प्रदान करना;

xiii) दोनों पक्षों द्वारा सम्मत कोई अन्य कार्यकलाप।

अनुच्छेद-II

इस समझौता ज्ञापन के निबंधनों के अन्तर्गत कार्यकलापों अथवा सहयोग का सार, क्षेत्र और कार्यान्वयन दोनों देशों की चयनित संस्थाओं के मध्य वर्तमान समझौता ज्ञापन के आधार पर तथा इसके प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई अधिक विशिष्ट व्यवस्थाओं के अधीन होगा।

अनुच्छेद-III

इस समझौता ज्ञापन के अधीन सहयोगी कार्यकलापों के कियान्वयन को परस्पर निर्धारित किया जाएगा और यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

अनुच्छेद-IV

दोनों पक्षकार इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने हेतु एक संयुक्त कार्यदल का गठन करेंगे। इस संयुक्त कार्यदल की अध्यक्षता थाईलैंड की शाही सरकार की तरफ से वहां के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा और भारत गणराज्य की सरकार की तरफ से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। इस कार्यदल में दोनों पक्षकारों की अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी यथोचित सहभागिता होगी। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए इस संयुक्त कार्य दल की बैठकें भारत तथा थाईलैंड में अथवा दोनों पक्षकार परस्पर अन्यथा जैसा तय करें, बारी-बारी से होंगी।

अनुच्छेद–V

कोई भी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन में परिशोधन अथवा संशोधन के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्षकारों द्वारा सम्मत किसी परिशोधन अथवा संशोधन को लिखित रूप में प्राप्त किया जाएगा और वह इस समझौता ज्ञापन का एक भाग होगा। ऐसा परिशोधन अथवा संशोधन दोनों पक्षकारों द्वारा यथा–निर्धारित तारीख से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद–VI

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर की तारीख से प्रवृत्त होगा।

यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और तत्पश्चात प्रत्येक बार अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक स्वतः नवीकृत होता रहेगा जब तक कोई पक्षकार अन्य पक्षकार को इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने सम्बन्धी अपने अभिप्राय की लिखित सूचना छः महीने पूर्व नहीं देता।

साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरी, जिन्हें उनके सरकारों द्वारा इसके निमित्त अधिकृत किया गया है, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है।

समान रूप से प्रामाणिक थाई, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में नई दिल्ली में वर्ष 2005 के जून माह की 03 तिथि को संपन्न हुआ। व्याख्या में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

थाईलैंड की शाही सरकार
की तरफ से

(कांताथी सुफामोंगकोन)
विदेश मंत्री

भारत गणराज्य की सरकार
की तरफ से

(अर्जुन सिंह)
मानव संसाधन विकास मंत्री